# न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, सहरसा।

अनुसूची 14– फारम संख्या 562,

राज्य।

बनाम

हीरो मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नंबर–BR-19N-9767

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

जिला– सहरसा, केस संख्या– **441/2020–21,**

केस का प्रकार– बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016, के तहत जप्त शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त हीरो मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नंबर–BR-19N-9767 के अधिहरण (confiscation) करने के संबंध में।

| ओदश की क्रम संख्या एवं तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तिथि सहित। |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | **–: आदेश :–**<br>प्रस्तुत वाद की कार्यवाही का प्रारंभ पुलिस अधीक्षक, सहरसा के पत्रांक 1771/हि0शा0 एवं दिनांक–01.06.2020 के आलोक में किया गया है। प्राप्त पत्र के साथ संलग्न प्रस्ताव बसनही थाना कांड संख्या– 08/2020, में जप्त देशी शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त हीरो मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नंबर–BR-19N-9767 के अधिहरण से संबंधित है। प्रस्ताव में अंकित घटना का स्थान–बद्रीवासा मोर, थाना–बसनही, घटना की तिथि– 23.01.2020 के साथ वर्णित है कि–<br>"इस कांड का वादी पु0अ0नि0 मदनेश्वर प्रसाद यादव पे0–स्व0 जयेन्द्रनारायण प्र० यादव सा0–सपटियाही, थाना+जिला–सहरसा वर्तमान बसनही थाना जिला–सहरसा के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त (1) लालू कुमार उर्फ प्रियांशु कुमार पे0 स्व0 रामप्रसाद मेहता सा0–महेशपुर थाना–सौरबाजार जिला–सहरसा (2) रेणु देवी पति–सुनील शर्मा सा0–फतेहपुर थाना–सोनवर्षाराज जिला–सहरसा (3)राजेश कुमार पे0–विरेन्द्र सादा सा0–मणियाबासा थाना–काशनगर ओ0पी0 जिला–सहरसा (4) कुमोद कुमार साह पे0 स्व0 लालदीप साह (5) अनजीत कुमार पे0 सोमन मुखिया दोनो साकिन–गोन्दराम थाना–बसनही जिला–सहरसा के विरूद्ध देशी महुआ शराब रखने परिवहन के आरोप में अंकित किया गया है। अनुसंधान के क्रम में अबतक के अनुसंधान जप्त प्रदर्श एवं पर्यवेक्षण में आये तथ्यों एवं साक्ष्यों से यह कांड मूलधाराओं के अन्तर्गत नामजद अभियुक्त के विरूद्ध सत्य पाया गया एवं आरोप पत्र हेतु प्रयाप्त साक्ष्य उपलब्ध पाया गया है। कांड अनुसंधान अन्तर्गत है। | |

कांड जप्त प्रदर्श देशी महुआ शराब 37 लीटर में से 03 लीटर उत्पद अधीक्षक सहरसा को जाँच हेतु भेजा जा चुका है। शेष बचे 34 लीटर एवं मोटर साईकिल हिरो रजिस्ट्रेशन नंबर–BR-19N-9767 चेचिस MBLHAR07XJ4F01962 इंजन HA10AGJ4F03644 थाना के मालखाना में सुरक्षार्थ रखा गया है। जिसे वरीय पदा0 महोदय के आदेश के आलोक में विनष्टीकरण/अधिग्रहण कराने हेतु निदेशित किया गया है।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि जप्त शेष बचे 34 लीटर देशी महुआ शराब को विनष्टीकरण एवं जब्त मोटर साईकिल के अधिग्रहण हेतु आदेश देने की कृपा की जाय।''

प्राप्त प्रस्ताव में उक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए जप्त शराब के विनिष्टीकरण एवं जप्त हीरो मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नंबर–BR-19N-9767 के अधिहरण करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस वाद के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ कर जप्त शराब को अधिहरित करते हुए विनष्टीकरण का आदेश दिया गया। साथ ही जप्त हीरो मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नंबर–BR-19N-9767 के अधिहरण के बिन्दु पर वाहन मालिक को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया।

वाहन मालिक चन्द्रकिशोर मेहता, पिता– केदार मेहता, साकिन–काशनगर, पोस्ट–पररिया थाना–सोनवर्षाराज, जिला–सहरसा द्वारा भी उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवादी का कहना है कि वे जप्त हीरो मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नंबर–BR-19N-9767 का गाड़ी मालिक हैं जिससे संबंधित सभी साक्ष्य एवं कागजात उनके पास उपलब्ध हैं। घटनाक्रम की वास्तविकता यह है कि बदमाश द्वारा इनसे रंगदारी की मांग की गई और जब्र रंगदारी नहीं दिया गया तो कुछ शराब जप्त वाहन में रखकर इन्हें इस झूठा मुकदमा में फंसा दिया गया। इनके द्वारा स्वयं को निर्दोष बताकर जप्त गाड़ी को मुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया और कहा गया गाड़ी मुक्त किये जाने को लेकर इनके ऊपर न्यायालय द्वारा जो भी शर्त लगाया जायेगा, उसका ये पालन किये जाने हेतु तैयार हैं।

राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) का कथन है कि चूँकि वाहन का प्रयोग शराब के अवैध परिवहन में किया जा रहा था। अतः विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) द्वारा, पुलिस अधीक्षक सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन/प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्य निषेध ओर उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत जप्त हीरो मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नंबर–BR-19N-9767 को अधिहरित

| | | |
|---|---|---|
| | किये जाने का अनुरोध किया गया।<br>वाहन मालिक के साथ राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) को विस्तार से सुना।<br>चूँकि जप्त वाहन का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में अवैध शराब के परिवहन हेतु किया जा रहा था, ऐसी स्थिति में इस वाहन का अधिहरण करना विधिसम्मत् प्रतीत होता है। वाहन मालिक का लिखित प्रतिवेदन में कोई तर्क नहीं है। इनके द्वारा अभियुक्तों द्वारा रंगदारी माँगने के बिन्दु पर किसी तरह की सूचना संबंधित थाना में नहीं दिया गया है।<br>अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में इस जप्त वाहन हीरो मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नंबर–BR-19N-9767को राज्य के पक्ष में अधिहरण करने का आदेश दिया जाता है।<br>अधीक्षक उत्पाद, सहरसा एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि उक्त वाहन का मोटरयान निरीक्षक, सहरसा से मूल्यांकन कराकर विधिवत् निलामी कर बिक्री राशि सरकारी कोष में जमा कर दें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा एवं अधीक्षक उत्पाद सहरसा को एवं सूचनार्थ पुलिस अधीक्षक, सहरसा को भी भेजें।<br>इसी के साथ अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।<br>लेखापित एवं शुद्धिकृत<br><br>22/12/2020 समाहर्त्ता सहरसा।      22/12/2020 समाहर्त्ता सहरसा। | |

ज्ञापांक 1061......./न्याया०, सहरसा, दिनांक 23.12.20........

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

23.12.20

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

23/12/20